संख्या-6/2026/ए-1-12/दस-2026-10-31/13/2026

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2026

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

विषयः एस0एन0ए0 स्पर्श से सम्बन्धित बिलों को कोषागारों में प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्धित बिल साइबर ट्रेजरी से पारित होने के पश्चात केन्द्रांश की धनराशि प्राप्ति हेतु E-Claim File के माध्यम से पहले PFMS तथा तत्पश्चात सम्बन्धित मंत्रालय के Program Division को प्रेषित की जाती है। जहां पर उक्त देयक के सापेक्ष Daily Sanctions प्रदान किये जाते हैं तथा जब यह धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली शाखा से भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर में खुले सम्बन्धित योजना के बैंक खाते में अन्तरित हो जाती है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

तभी उक्त देयक से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली से हो पाता है।

2- अतः उक्त समस्त प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि SNA SPARSH के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्धित सभी बिल विलम्बतम दिनांक 27 मार्च, 2026 को सायं 05:00 बजे तक साइबर ट्रेजरी में प्राप्त किये जायेंगे। ताकि देयकों का भुगतान समय से हो सके। दिनांक 27 मार्च, 2026 की सायं 05:00 बजे के बाद कोई भी बिल साइबर ट्रेजरी में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ।
8. करेंसी आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, इश्यू सेक्शन, कानपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव ।

shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।